संख्या-46/2023/186 /001-22-4-2023-105-ब-98-313424

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च 2023

विषय:- जिला कारागार, सोनभद्र पर नियमित विद्युत आपूर्ति किये जाने के लिए 11 के0वी0ए0फीडर का निर्माण कराये जाने हेतु स्वीकृत आगणन पर जी0एस0टी0 की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8428/नम-2/125/सोनभद्र फीडर/2017, दिनांक 13-03-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2022-23 में जिला कारागार, सोनभद्र पर नियमित विद्युत आपूर्ति किये जाने के लिए 11 के0वी0 फीडर का निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 419.11567 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ जी0एस0टी0 के रूप में देय अन्तर की धनराशि रू0 55,76,567.00 (रू0 पचपन लाख छियहत्तर हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) जी0एस0टी0 की धनराशि गणना की शुद्धता का समस्त उत्तरदायित्व् महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(2) किसी भी अनियमितता हेतु महानिरीक्षक कारागार/कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों समय-**समय** पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय।

(5) महानिरीक्षक कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31.03.2023 तक कर लिया जायेगा।

(7) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/ कास्ट् ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(8) प्रश्नगत योजना के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-124/2018/813/22-4-18-105(ब)/98 दिनांक 20-08-2018 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

(9) इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत नियमों, शर्तो, प्रतिबन्धों आदि का पूर्णत: पालन किया जायेगा।

(10) भविष्य में वित्तीय स्वीकृतियों/क्रयानुमोदन/कार्यानुमोदन के प्रस्ताव समय से प्रेषित किया जाय, ताकि वित्तीय मामलो में अनवाश्यक विलम्ब न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 55,76,567 (रुपये पचपन लाख छिहत्तर हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002300 जिला कारागार, सोनभद्र में विद्युत फीडर का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-844-X-2022-23, दिनांक: 31.3.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-46/2023/186(1)/001-22-4-2023-105-ब-98-313424, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) अधिशाषी अभियन्ता, विघुत वितरण खण्ड, राबर्टगंज, सोनभद्र।
(4) जिलाधिकारी, सोनभद्र।
(5) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार- सोनभद्र।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार विभाग, उ0प्र0 शासना।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
(11) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।